(31)

पत्रांक–04/HFA–10/2016 240 /न0वि0एवंआ0वि0

# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–6/3/17

**विषयः– सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 8 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि ₹1395.39 लाख रू0 के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन की स्वीकृति।**

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/10/2016-HFA-3(FTS 15140) दिनांक–03.06.2016 द्वारा राज्य के 45 नगर निकायों हेतु कुल ₹9307.38 लाख़ रू0 (तिरानवे करोड़ सात लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) विमुक्त की गयी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–34 दिनांक–15.07.16 एवं आवंटनादेश सं0–35 दिनांक–15.07.16 द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु 36 नगर निकाय हेतु कुल ₹7911.99 लाख़ रू0 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–61 दिनांक–15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0–62 दिनांक–15.09.16 द्वारा 08 नगर निकाय हेतु ₹1395.39 लाख़ रू0 की निकासी की गई है। मंत्रालय द्वारा जमालपुर नगर परिषद को TSP मद एवं SCSP मद में सामयोजन के पश्चात Other than SCSP & TSP मद में (–)3.38 लाख रू0 विमुक्त की गयी है। Other than SCSP & TSP घटक/मद में जमालपुर नगर परिषद हेतु केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि की निकासी नहीं की गयी है। उक्त विमुक्त राशि (–)3.38 लाख रू0 का समायोजन मंत्रालय द्वारा वारसलिगंज नगर पंचायत हेतु विमुक्त राशि Other than SCSP & TSP मद में की गई है। जमालपुर नगर परिषद हेतु TSP मद एवं SCSP मद में से राशि की निकासी के पश्चात समायोजित राशि (–)3.38 लाख रू0 का समायोजन वारसलीगंज नगर पंचायत को Other than SCSP & TSP मद में कर दिया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–34 दिनांक–15.07.16 एवं आवंटनादेश सं0–35 दिनांक–15.07.16 के अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–35 दिनांक–15.07.16 एवं आवंटनादेश सं0–36 दिनांक–15.07.16 द्वारा की जा चुकी है।

अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जमालपुर नगर परिषद में Other than SCSP & TSP मद में अनुपातिक राज्यांश की राशि (–)1.13 लाख रू0 की निकासी नहीं की जा रही है। विमुक्त राशि की अनुपातिक राज्यांश की राशि (–)1.13 लाख रू0 का समायोजन वारसलीगंज नगर पंचायत हेतु Other than SCSP & TSP मद में की जा रही है। जमालपुर नगर परिषद हेतु TSP एवं SCSP मद में अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी के पश्चात् समायोजित राशि (–)1.13 लाख रू0 का समायोजन वारसलीगंज नगर पंचायत को कर दिया जाएगा। तद्नुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–61 दिनांक–15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0–62 दिनांक–15.09.16 के अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। अतएव स्वीकृत्यादेश सं0 239 दिनांक 6/3/17 के आलोक में कुल राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) (स्तम्भ 07 में अंकित राशि) 08 नगर निकायों में व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु में सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख रू0 में)

| क्र. सं. | नगर निकाय का नाम | स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0 | केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि (@ 1.50 lakh/DU) | राज्यांश की वचनबद्ध राशि (@ 0.50 lakh/DU) | केन्द्रांश की विमुक्त प्रथम किस्त की राशि | निकासी हेतु स्वीकृत अनुपातिक राज्यांश (प्रथम किस्त) की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रक्सौल | 464 | 696.00 | 232.00 | 271.53 | 90.51 |
| 2 | समस्तीपुर | 260 | 390.00 | 130.00 | 133.30 | 44.43 |
| 3 | शाहपुर | 84 | 126.00 | 42.00 | 45.00 | 15.00 |
| 4 | शेखपुरा | 144 | 216.00 | 72.00 | 62.79 | 20.93 |
| 5 | सोनपुर | 800 | 1200.00 | 400.00 | 468.33 | 156.11 |
| 6 | सुगौली | 270 | 405.00 | 135.00 | 154.44 | 51.48 |
| 7 | सुपौल | 155 | 232.50 | 77.50 | 77.56 | 25.85 |
| 8 | वारसलीगंज | 325 | 487.50 | 162.50 | 182.44 | 60.82 |
| | कुल | **2502** | **3753.00** | **1251.00** | **1395.39** | **465.13** |

**2.** स्वीकृत राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, एवं पत्रांक–423 दिनांक–31.03.16, पत्रांक–5193 दिनांक–28.06.16, पत्रांक–811 दिनांक–12.08.16 एवं पत्रांक–1211 दिनांक–15.12.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

**3.** राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा।

राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

**4.** वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

**5.** स्वीकृत राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) माँग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0319– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड 1989, विषय शीर्ष 31 05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–P2217011910319 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विकलनीय होगा। इस बजट उप शीर्ष में ₹ 9500.00 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है जिसमें से ₹8677.10 लाख रू0 की निकासी की जा चुकी है तथा ₹ 822.90 लाख रू0 का बजट उपबंध चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवशेष है।

**6.** यह एक नई योजना है अतः आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के बाद वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

**7.** भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.3.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 240 दिनांक– 6/3/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 240 दिनांक– 6/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

(314)

पत्रांक–04/HFA–10/2016 239 /न0वि0एवंआ0वि0

# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–6/3/17

**विषयः–** **सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 8 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि ₹1395.39 लाख़ रू0 के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निकासी की स्वीकृति।**

**आदेश–** **स्वीकृत।**

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/10/2016-HFA-3(FTS 15140) दिनांक–03.06.2016 द्वारा राज्य के 45 नगर निकायों हेतु कुल ₹9307.38 लाख़ रू0 (तिरानवे करोड़ सात लाख अड़तीस हजार रू0 मात्र) विमुक्त की गयी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–34 दिनांक–15.07.16 एवं आवंटनादेश सं0–35 दिनांक–15.07.16 द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु 36 नगर निकाय हेतु कुल ₹7911.99 लाख़ रू0 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–61 दिनांक–15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0–62 दिनांक–15.09.16 द्वारा 08 नगर निकाय हेतु ₹1395.39 लाख़ रू0 की निकासी की गई है। मंत्रालय द्वारा जमालपुर नगर परिषद को TSP मद एवं SCSP मद में सामयोजन के पश्चात Other than SCSP & TSP मद में (–)3.38 लाख रू0 विमुक्त की गयी है। Other than SCSP & TSP घटक/मद में जमालपुर नगर परिषद हेतु केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि की निकासी नहीं की गयी है। उक्त विमुक्त राशि (–)3.38 लाख रू0 का समायोजन मंत्रालय द्वारा वारसलिगंज नगर पंचायत हेतु विमुक्त राशि Other than SCSP & TSP मद में की गई है। जमालपुर नगर परिषद हेतु TSP मद एवं SCSP मद में से राशि की निकासी के पश्चात समायोजित राशि (–)3.38 लाख रू0 का समायोजन वारसलीगंज नगर पंचायत को Other than SCSP & TSP मद में कर दिया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–34 दिनांक–15.07.16 एवं आवंटनादेश सं0–35 दिनांक–15.07.16 के अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–35 दिनांक–15.07.16 एवं आवंटनादेश सं0–36 दिनांक–15.07.16 द्वारा की जा चुकी है।

313

अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु जमालपुर नगर परिषद में Other than SCSP & TSP मद में अनुपातिक राज्यांश की राशि (–)1.13 लाख रू0 की निकासी नहीं की जा रही है। विमुक्त राशि की अनुपातिक राज्यांश की राशि (–)1.13 लाख रू0 का समायोजन वारसलीगंज नगर पंचायत हेतु Other than SCSP & TSP मद में की जा रही है। जमालपुर नगर परिषद हेतु TSP एवं SCSP मद में अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी के पश्चात् समायोजित राशि (–)1.13 लाख रू0 का समायोजन वारसलीगंज नगर पंचायत को कर दिया जाएगा। तद्नुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–61 दिनांक–15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0–62 दिनांक–15.09.16 के अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) (स्तम्भ 07 में अंकित राशि) 08 नगर निकायों में व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु में सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख रू0 में)

| क्र. सं. | नगर निकाय का नाम | स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0 | केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि (@ 1.50 lakh/DU) | राज्यांश की वचनबद्ध राशि (@ 0.50 lakh/DU) | केन्द्रांश की विमुक्त प्रथम किस्त की राशि | निकासी हेतु स्वीकृत अनुपातिक राज्यांश (प्रथम किस्त) की राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रक्सौल | 464 | 696.00 | 232.00 | 271.53 | 90.51 |
| 2 | समस्तीपुर | 260 | 390.00 | 130.00 | 133.30 | 44.43 |
| 3 | शाहपुर | 84 | 126.00 | 42.00 | 45.00 | 15.00 |
| 4 | शेखपुरा | 144 | 216.00 | 72.00 | 62.79 | 20.93 |
| 5 | सोनपुर | 800 | 1200.00 | 400.00 | 468.33 | 156.11 |
| 6 | सुगौली | 270 | 405.00 | 135.00 | 154.44 | 51.48 |
| 7 | सुपौल | 155 | 232.50 | 77.50 | 77.56 | 25.85 |
| 8 | वारसलीगंज | 325 | 487.50 | 162.50 | 182.44 | 60.82 |
| | कुल | **2502** | **3753.00** | **1251.00** | **1395.39** | **465.13** |

**2.** स्वीकृत राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98, एवं पत्रांक–423 दिनांक–31.03.16, पत्रांक–5193 दिनांक–28.06.16, पत्रांक–811 दिनांक–12.08.16 एवं पत्रांक–1211 दिनांक–15.12.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

**3.** राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

(32)

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि ₹465.13 लाख रू0 (चार करोड़ पैंसठ लाख तेरह हजार रू0 मात्र) माँग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–01 – राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष–191 नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–0319– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, पी0एफ0एम0एस0 कोड 1989, विषय शीर्ष 31 05–सहायक अनुदान –परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–P2217011910319 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में विकलनीय होगा। इस बजट उप शीर्ष में ₹ 9500.00 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है जिसमें से ₹8677.10 लाख रू0 की निकासी की जा चुकी है तथा ₹ 822.90 लाख रू0 का बजट उपबंध चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवशेष है।

6. यह एक नई योजना है अतः आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के बाद वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0– 43 /टि0 पर दिनांक– 02/03/2017 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0– 42 /टि0 पर दिनांक– 28/02/2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.3.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 239 दिनांक– 6/3/17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 239 दिनांक– 6/3/17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी संबंधित नगर निकाय/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

R.K.